क्रम संख्या–33 (क) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 मार्च, 2020 ई0

चैत्र 06, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 138/XXXVI(3)/2020/9(1)/2020

देहरादून, 26 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020' पर दिनांक 25 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 12 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2020

(अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2020)

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2020 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2020–21 के लिये रु0535269737000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ– 2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 535269737000 **(रुपये तिरपन हजार पाँच सौ छब्बीस करोड़ सत्तानवे लाख सैंतीस हजार मात्र)** होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	670244	23722	693966
		पूंजी	106000	0	106000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	119787	119787
		पूंजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	402020	0	402020
		पूंजी	600000	0	600000
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	2391767	505000	2896767
		पूंजी	558000	0	558000
05–	निर्वाचन	राजस्व	454063	0	454063
		पूंजी	100000	0	100000
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	11806153	36725	11842878
		पूंजी	3539673	0	3539673
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	97810296	60457395	158267691
		पूंजी	1246702	35033100	36279802
08–	आबकारी	राजस्व	330507	0	330507
		पूंजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	174499	327143	501642
		पूंजी	52819	0	52819
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	21238348	0	21238348
		पूंजी	505000	0	505000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	87552830	0	87552830
		पूंजी	3939618	0	3939618
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	22715889	0	22715889
		पूंजी	2054342	0	2054342
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	16596531	0	16596531
		पूंजी	13007002	0	13007002
14–	सूचना	राजस्व	1002942	0	1002942
		पूंजी	10000	0	10000
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	18905931	0	18905931
		पूंजी	1235016	0	1235016
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	3552342	0	3552342
		पूंजी	350001	0	350001
17–	कृषि कर्म एव अनुसंधान	राजस्व	10371773	0	10371773
		पूंजी	109305	0	109305

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
18–	सहकारिता	राजस्व	703267	0	703267
		पूंजी	1000000	0	1000000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	9832152	0	9832152
		पूंजी	13298818	0	13298818
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	5592604	0	5592604
		पूंजी	7199585	0	7199585
21–	ऊर्जा	राजस्व	130420	0	130420
		पूंजी	3530003	0	3530003
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	9668563	90000	9758563
		पूंजी	10797002	1	10797003
23–	उद्योग	राजस्व	3318225	0	3318225
		पूंजी	1105004	0	1105004
24–	परिवहन	राजस्व	1444216	0	1444216
		पूंजी	4400602	0	4400602
25–	खाद्य	राजस्व	2224916	0	2224916
		पूंजी	120000	0	120000
26–	पर्यटन	राजस्व	1049105	0	1049105
		पूंजी	1005419	0	1005419
27–	वन	राजस्व	10361702	0	10361702
		पूंजी	843507	0	843507
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	3867655	0	3867655
		पूंजी	275806	0	275806
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	3808569	15755	3824324
		पूंजी	120000	0	120000
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	10821749	0	10821749
		पूंजी	2806400	0	2806400
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	3521987	0	3521987
		पूंजी	1464372	0	1464372
	योग–	राजस्व	362321265	61575447	423896712
		पूंजी	76339924	35033101	111373025
	महायोग		438661189	96608548	535269737

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः–

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्य मंत्री।